व्यवस्था पर सवाल | जिला एवं सत्र न्यायालय में चालान पेश करते रंगे हाथों पकड़े गए पुलिसकर्मी

दोहरी भूमिका निभा रही पुलिस, न्यायालय में बनी अधिवक्ता

जबलपुर, नवभारत। गत दिवस जबलपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय में हुए बम धमाके की जांच अभी शांत भी नहीं हुई थी की जिला अदालत एक बार फिर सुर्खियों मे आ गई है। इस बार मामला पुलिस कर्मियों के वकील बन चालान पेश करने का है। जिसके चलते एक बार फिर व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।

बता दे कि यहां कोर्ट ड्यूटी पर आए पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगे हैं और अधिवक्ताओं ने रंगे हाथ पकड़कर पूरे मामले का वीडियो भी बना लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक जिला एवं सत्र न्यायालय में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब अधिवक्ताओं ने चालान ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को कथित तौर पर अधिवक्ता की भूमिका निभाते हुए पकड़ लिया। आरोप है कि पुलिसकर्मी न सिर्फ चालान पेश कर रहे थे, बल्कि पक्षकारों से सीधे संपर्क कर पूरे केस की प्रक्रिया खुद ही संभाल रहे थे।

ये है मामला

सोशल मीडिया पर वायरल होते वीडियो के अनुसार कोर्ट नंबर 2 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करीब 7 समरी ट्रायल मामलों में पुलिसकर्मी श्रीकांत गुर्जर (आबकारी) और श्वेता ठाकुर पर आरोप लगा कि उन्होंने निर्धारित जुर्माना राशि से अधिक पैसे पक्षकारों से लिए। इसके बाद वे स्वयं ही ऑनलाइन माध्यम से जुर्माना जमा कर रहे थे, जो कि स्थापित प्रक्रिया के विपरीत बताया जा रहा है। जिन मामलों में अनियमितता सामने आई, उनमें अंकित उर्फ बहादुर, सुनीता केवट, महेंद्र बर्मन, छोटे यादव, कान्धिलाल यादव, अनिल बारी और किरन कोल के नाम शामिल हैं। इन सभी मामलों में 500 से 1000 रुपए तक के जुर्माने निर्धारित थे, लेकिन आरोप है कि इनसे अधिक राशि ली गई।

दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई

घटना के बाद अब न्यायालय की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अधिवक्ताओं ने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों और संबंधित कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि न्यायालय की गरिमा बनी रह सके। वही कोर्ट में आए हुए जो व्यक्ति इन पुलिसकर्मियों को जुर्माने की राशि देते हैं यह उनके लिए भी एक बड़ा संकट साबित हो सकता है। क्योंकि आने वाले समय में जब मामले की सुनवाई होगी तो आखिर बहस अधिवक्ता को ही करनी पड़ेगी।

उठने लगे सवाल

इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद अब अदालत परिसर के भीतर काम करने वाले कर्मचारियों की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। अधिवक्ताओं का आरोप है कि बिना अंदरुनी मिलीभगत के इस तरह की प्रक्रिया संभव नहीं है, जिससे पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग रहा है। मालूम हो कि यदि जुर्माने की राशि गलत ढंग से भरी जाती है या नहीं भरी जाती है तो इसकी भरपाई आखिरकार उस क्लाइंट को ही करनी होती है जिसने पुलिसकर्मी पर भरोसा किया था।

इनका कहना है

पुलिसकर्मियों का जो कार्य निर्धारित किया गया है वे उसी को करे। अधिवक्ताओं का हित किसी भी कीमत पर मारा नहीं जाएगा। ये एक गंभीर विषय है। संबंधित अधिकारियों से चर्चा की जाएगी।

ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी

सचिव, ज़िला अधिवक्ता संघ

एसएएफ में रेत-गिट्टी सप्लायर पर हमला

जबलपुर। रांझी थाना अंतर्गत एसएएफ में बीती रात रेत-गिट्टी सप्लायर रॉड, डंडे से हमला कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हिमांद्री सन्याल निवासी सत्यम टावर नरसिंह नगर, रांझी रेत-गिट्टी सप्लाई का व्यवसाय करते हैं, ने बताया कि उनकी एक साइट एसएएफ 06 वी बटालियन में चल रही है। बीती रात करीब 2:30 बजे जब वे काम का मुआयना करने अपनी साइट पर पहुँचे, तो वहां पहले से घात लगाकर बैठे संतोष उपाध्याय, प्रिंस उपाध्याय और उनके दो अन्य साथियों ने उन्हें घेर लिया। आरोपियों ने हिमांद्री को वहां काम न करने की चेतावनी दी। जब हिमांद्री ने इसका विरोध किया, तो विवाद बढ़ गया। प्रिंस उपाध्याय ने हाथ में लिए डंडे से हिमांद्री के सिर पर जोरदार हमला किया, वहीं उसके एक अन्य साथी ने लोहे की रॉड से सिर पर वार कर दिया। हमले में हिमांद्री का सिर फट गया और खून बहने लगा। संतोष उपाध्याय और अन्य एक साथी ने हाथ-घूंसों से भी जमकर मारपीट की, जिससे पीड़ित के पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। चीख-पुकार सुनकर मौके पर मौजूद मोहित राय और देवराज ठाकुर ने बीच-बचाव किया, जिन्हें देखकर आरोपी वहां से भाग निकले। भागते समय आरोपियों ने हिमांद्री को धमकी दी कि यदि थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

कटनी विधायक संजय पाठक की मुश्किलें बढ़ी

जज से संपर्क करने पर कार्रवाई की मांग को लेकर याचिका दायर

जबलपुर। कटनी से भाजपा विधायक संजय पाठक द्वारा हाईकोर्ट के एक जज से संपर्क करने की कथित कोशिश का मामला अब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच तक पहुंच गया है। इस प्रकरण में विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दायर याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को निर्धारित की है।

यह याचिका कटनी निवासी आशुतोष दीक्षित की ओर से दायर की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि विधायक संजय पाठक ने हाईकोर्ट के जज से संपर्क करने की कोशिश की थी, जो न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास माना जा सकता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि पाठक परिवार से जुड़ी खदानों के मामले की सुनवाई जस्टिस विशाल मिश्रा की अदालत में निर्धारित थी। इसी दौरान 1 सितंबर 2025 को जस्टिस मिश्रा ने स्वयं इस बात का खुलासा किया था कि विधायक द्वारा उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी। घटना के सामने आने के बाद जस्टिस विशाल मिश्रा ने निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को प्रशासनिक स्तर पर चीफ जस्टिस के समक्ष भेजने का निर्देश भी दिया था। यह कदम न्यायपालिका की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों के समक्ष शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इसी कारण उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर विधायक संजय पाठक के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव और पुनीत श्रोती उपस्थित रहे।

ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने जतायी हैरानी, मांगा जवाब

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन की युगलपीठ ने अनुपातहीन संपत्ति के एक मामले में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की कार्यप्रणाली पर हैरान जताई है। न्यायालय ने पूछा कि जब याचिकाकर्ता का जन्म 1996 में हुआ और उसे नौकरी 2023 में मिली, तो फिर 1997 से 2021 तक की संपत्ति की जांच किस आधार पर की जा रही है। न्यायालय ने ईओडब्ल्यू के डीजी और उनके विधिक सलाहकार से इस संबंध में सात दिन के अंदर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल याचिकाकर्ता छतरपुर निवासी कृष्ण प्रताप सिंह चंदेल की ओर से दलील दी गई कि उसका जन्म 1996 में हुआ और उसे सरकारी नौकरी 2023 में मिली। इसके बावजूद ईओडब्ल्यू ने एक अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि को चेक पीरियड बताते हुए उसकी संपत्ति की जांच शुरू कर दी। इस अवधि में वे नाबालिग थे और किसी भी सरकारी सेवा में नहीं थे। जिस पर इस अवधि की संपत्ति को आय से अधिक कैसे माना जा सकता है। मूल एफआईआर याचिकाकर्ता के भाई के विरुद्ध दर्ज हुई थी। भाई समिति प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। उन पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा। बाद में परिवार के अन्य सदस्यों के साथ याचिकाकर्ता का नाम भी जोड़ दिया गया। इसी आधार पर याचिकाकर्ता को नौकरी से हटा दिया गया। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने अनावेदकों से जवाब तलब किया है।

कुर्की की कार्रवाई होता देख जमा कराई राशि

करदाताओं के पास दुगने अधिभार से बचने अब 13 दिन शेष, 1 अप्रैल से करों की राशि होगी दोगुना

नवभारत, जबलपुर। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर नगर निगम द्वारा संभागवार एवं वार्डवार वसूली अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत जिन करदाताओं के द्वारा बार-बार सूचना देने के बाद भी बकाया करों की राशि जमा नहीं की जा रही है, उन सभी करदाताओं के विरूद्ध कुर्की, नल कनेक्शन काटने, भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। कुर्क सम्पत्तियों को अवधि के उपरांत वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए नीलाम करने की कार्रवाई भी की जायेगी। निगमायुक्त ने बताया कि करदाताओं के पास दुगना अधिभार से बचने अब मात्र 13 दिन शेष बचे हुए हैं। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से करों की राशि दुगना कर दी जायेगी, और करों की वसूली सख्ती के साथ की जायेगी।

इसी कड़ी में बुधवार को संभाग क्रमांक 06 के अंतर्गत कर वसूली अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण और सफल कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान पंडित गोविंद बल्लभ पंत वार्ड और पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड में विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। संपत्ति कर बकाया होने पर नियमानुसार कुर्की की प्रक्रिया शुरू की, तो करदाताओं ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए तुरंत कार्यालय पहुंचकर आंशिक भुगतान जमा किया। कस्तूरी बाई गुप्ता पर 26534/- रूपये बकाया और नीलकंठ दीक्षित 91956/- रूपये बकाया होने पर बकायादारों के मामलों में प्रभावी कदम उठाए गए, जिससे निगम के कोष में राशि जमा हुई। कार्रवाई के दौरान संभागीय अधिकारी प्रदीप मेरावी, अरविन्द श्रीवास्तव, राजस्व निरीक्षक वसीम मोहम्मद, शुभम जैन, जयकुमार केवट, एस. कौंडेया, जावेद अंसारी, राम कालेश तिवारी सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। इसी प्रकार संभागीय कार्यालय संभाग क्र. 10, रांझी में बकाया करों की वसूली हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया।

सड़क हादसे में युवक की मौत

जबलपुर। तिलवारा थाना अंतर्गत जोधपुर पड़ाव तिराहे के पास हुए एक सड़क हादसे में घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। गोटेगांव निवासी युवक पिछले पांच दिनों से अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा था, लेकिन अंततः उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गोटेगांव के नौनी करेली का रहने वाला गुलशन श्रीपाल (26) बीते 12 मार्च को अपनी मोटरसाइकिल से किसी निजी काम के सिलसिले में जबलपुर आया था। रात करीब 9 से 10 बजे के बीच, जब वह अपना काम निपटाकर वापस अपने घर गोटेगांव लौट रहा था, तभी जोधपुर पड़ाव तिराहे के पास उसकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई। इस हादसे में गुलशन को गंभीर चोटें आई थीं। दुर्घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने मानवता दिखाते हुए घायल गुलशन को जानकी रमण अस्पताल में भर्ती कराया।

होटल गुलजार और मेथोडिस्ट चर्च की संपत्ति कुर्क

राशि नहीं चुकाने पर होगी नीलामी की कार्यवाही

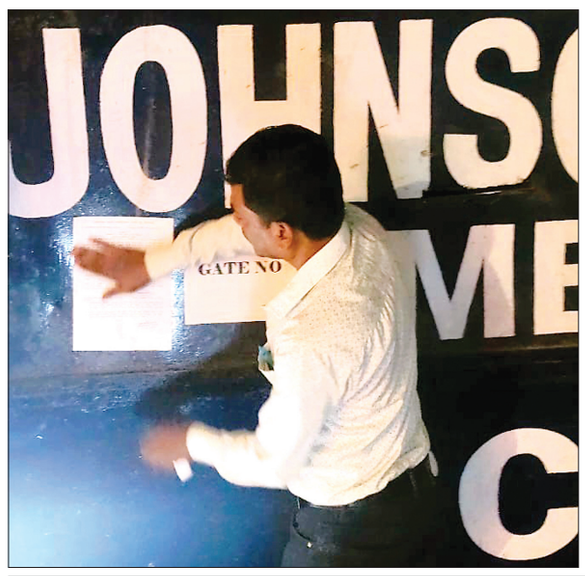

नवभारत,जबलपुर। राजस्व विभाग ने डायवर्सन की बकाया राशि नहीं जमा करने पर गोरखपुर स्थित होटल गुलजार और हवाबाग स्थित मेथोडिस्ट चर्च की संपत्ति को कुर्क कर लिया है तथा कुर्क की गई संपत्ति के क्रय-विक्रय, अनुबंध आदि को निषेधित कर दिया गया है। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गोरखपुर अनुराग सिंह के अनुसार तहसील गोरखपुर मौजा गोरखपुर स्थित होटल गुलजार के संचालक संजय भाटिया, गुलजारी लाल भाटिया द्वारा व्यावसायिक प्रयोजन में लाये जा रहे होटल गुलजार एवं अन्य भूमियों पर डायवर्सन की 8 लाख 50 हजार रुपये की राशि मांग जारी होने के बाद भी जमा नहीं करने पर अचल संपत्ति की कुर्की का वारंट जारी किया गया है तथा कुर्क की गई संपत्ति पर किसी भी प्रकार का क्रय-विक्रय, अनुबंध इत्यादि नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बकाया राशि जमा नहीं करने पर कुर्क शुदा संपत्ति की नीलामी कर भू-राजस्व की राशि वसूल की जायेगी।

अपर कलेक्टर ने बैठक में दिए थे निर्देश

ज्ञात हो कि अपर कलेक्टर अभिषेक गहलोत ने गत दिवस आयोजित राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक में मांग जारी करने और समयावधि बीत जाने के बाद भी भू-राजस्व नहीं जमा करने वाले बड़े बकायादारों पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिये थे।

मेथोडिस्ट चर्च पर 15 लाख की राशि बकाया

अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गोरखपुर ने बताया कि भू-राजस्व वसूली के सिलसिले में ही 15 लाख रुपये की डायवर्सन की बकाया राशि नहीं जमा करने पर बुधवार को हवाबाग स्थित मेथोडिस्ट चर्च की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। मेथोडिस्ट चर्च द्वारा भी बकाया जमा नहीं किये जाने पर चल-अचल संपत्ति की नीलामी कर भू-राजस्व की वसूली की जायेगी।

घर में फेंके बम, बाल-बाल बचा परिवार

जबलपुर। अधारताल थाना अंतर्गत न्यू कंचनपुर क्षेत्र में बीती रात मकान के बकाया पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दो सगे भाइयों ने एक व्यापारी के घर पर सुअरमार बम पटक दिए। धमाके से इलाके में दहशत फैल गई, हालांकि गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस ने बताया कि चंद्रशेखर प्रजापति 41 वर्ष निवासी न्यू कंचनपुर ईंट का व्यवसाय करता है। उसने दिसंबर 2025 में राजकुमार यादव से कंचनपुर में एक मकान खरीदा था, जिसकी रजिस्ट्री और नामांतरण की प्रक्रिया विधिवत पूरी हो चुकी है। मकान में शिफ्ट होने के बाद राजकुमार यादव का कुछ सामान अभी भी कमरे में रखा हुआ था। बीती रात करीब 9 बजे चंद्रशेखर को रास्ते में राजकुमार यादव के दो बेटे अमित यादव उर्फ कंचा और रोहित यादव उर्फ बंटा मिले। चंद्रशेखर ने उनसे अपना पुराना सामान ले जाने को कहा। इस पर दोनों भाई भड़क गए और मकान के सौदे के अलावा 70 हजार रुपये की अतिरिक्त मांग करने लगे। चंद्रशेखर ने स्पष्ट किया कि वह पूरे पैसे दे चुका है, जिसके बाद वह अपने घर लौट आया। विवाद यहीं शांत नहीं हुआ। रात करीब 10 बजे अमित और रोहित मोटरसाइकिल से चंद्रशेखर के घर पहुंचे और गंदी गालियां देने लगे। जब चंद्रशेखर ने विरोध किया, तो आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से उसके घर के अंदर एक के बाद एक दो सुअरमार बम फेंके। धमाका इतना जोरदार था कि घर में मौजूद लोग सहम गए।

कैप्टिव पावर संशोधन 2026 से कंपनियों पर संकट

आम उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा बोझ नियमों की समीक्षा की मांग

नवभारत, जबलपुर। मध्यप्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन के महामंत्री राकेश डी पी पाठक ने विद्युत (संशोधन) नियम 2026 को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कैप्टिव पावर से जुड़े नए प्रावधानों से देशभर की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने बताया कि नए नियमों के तहत कॉर्पोरेट समूहों को एकल कैप्टिव उपयोगकर्ता मानने, समूह कंपनियों के बीच बिजली वितरण की छूट तथा ग्रुप कैप्टिव नियमों में ढील से बड़े औद्योगिक उपभोक्ता डिस्कॉम से दूरी बना सकते हैं। इससे डिस्कॉम के राजस्व में भारी गिरावट आने की आशंका है। राकेश डी पी पाठक के अनुसार, औद्योगिक उपभोक्ताओं से मिलने वाली आय से ही घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को क्रॉस-सब्सिडी दी जाती है। यदि बड़े उपभोक्ता कैप्टिव पावर की ओर शिफ्ट होते हैं तो यह व्यवस्था कमजोर हो जाएगी, जिससे आम उपभोक्ताओं पर बिजली दरों का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि कैप्टिव स्थिति के सत्यापन तक क्रॉस-सब्सिडी सरचार्ज और अतिरिक्त अधिभार नहीं लगाने का प्रावधान भी डिस्कॉम की आय को प्रभावित करेगा। इससे कंपनियों पर वित्तीय दबाव और बढ़ेगा। फेडरेशन ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि इन नियमों की व्यापक समीक्षा कर उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, पेंशनर्स और जनहित को ध्यान में रखते हुए आवश्यक संशोधन किए जाएं, ताकि सस्ती और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

13 वाहनों पर 12,500 का चालान, 1 वाहन जब्त

दीनदयाल बस स्टैंड पर आरटीओ की बड़ी कार्रवाई

नवभारत, जबलपुर। दीनदयाल बस स्टैंड में असुरक्षित दशा में खड़े एवं संचालित यात्री वाहनों के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान कुल 13 वाहनों में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 12,500 रुपए की चलानी कार्यवाही की गई। इसके साथ ही आवश्यक दस्तावेज ना होने पर 1 वाहन को जब्त कर आगे की वैधानिक कार्यवाही के लिए सुरक्षित रखा गया है। यह कार्यवाही कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्रीमती रिंकू शर्मा के नेतृत्व में संभागीय परिवहन सुरक्षा स्क्वाड द्वारा की गई। संभागीय उड़न दस्ता प्रभारी राजेन्द्र साहू ने बताया कि यात्री सुरक्षा के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा इस प्रकार के अभियान निरंतर जारी रहेंगे। कार्यवाही के दौरान प्रभारी राजेंद्र साहू, परिवहन उप निरीक्षक अक्षय पटेल, परिवहन आरक्षक अशोक खापर्डे, इम्तियाज हुसैन, राजेंद्र पटेल, नवल स्टारकी, शंकर झरिया, आकाश अग्रवाल एवं समस्त स्टाफ मौजूद रहा।

जबलपुर की 'जलगंगा' को संवारने का संकल्प

पुराने गौर पुल से आज होगा शुभारंभ

नवभारत, जबलपुर। शहर के जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और भूजल स्तर को सुधारने के लिए शासन के महत्वाकांक्षी 'जलगंगा संवर्धन अभियान' का गुरुवार से शुभारंभ होने जा रहा है। नगर निगम जबलपुर द्वारा इस अभियान की शुरुआत पुराने गौर पुल के समीप सुबह 11 बजे से की जाएगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण है, बल्कि जनभागीदारी के माध्यम से जबलपुर को जल-समृद्ध बनाना है।

निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने इस अभियान को लेकर समीक्षा की और बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार मुख्य फोकस रैन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली पर रहेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शहर में गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए वर्षा जल संचयन को एक जन आंदोलन बनाया जाए।

अभियान के मुख्य आकर्षण और कार्ययोजना

बैठक में निगमायुक्त ने शहर के ऐतिहासिक कुओं, बावलियों और तालाबों की विशेष सफाई कर उनका जीर्णोद्धार कराने अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जल स्रोतों के किनारे और शहर के विभिन्न हिस्सों में सघन पौधरोपण कर हरित क्षेत्र विकसित किया जाएगा। समीक्षा बैठक में निगमायुक्त ने ये भी कहा कि मानसून से पूर्व बड़े नालों और नालियों की व्यापक सफाई के साथ-साथ आवश्यक मरम्मत कार्य युद्धस्तर पर किए जाएंगे। बैठक में अपर आयुक्त, उपायुक्त एवं सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

निगमायुक्त के संवाद का असर, तीस से अधिक मछली व्यापारियों ने किया आवेदन

मछली मार्केट का निगमायुक्त ने किया निरीक्षण

नवभारत, जबलपुर। मध्यप्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शहर के व्यापारियों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण प्रदान करने की दिशा में नगर निगम ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने अधिकारियों के साथ गुरंदी क्षेत्र में नवनिर्मित आधुनिक मछली मार्केट का निरीक्षण किया। उन्होंने व्यापारियों के साथ सीधा और प्रेरणादायी संवाद भी स्थापित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस व्यवस्थित मार्केट से न केवल व्यापारियों के व्यापार में वृद्धि होगी, बल्कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था में भी बड़ा सुधार आएगा। नया मार्केट आधुनिक मापदंडों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें व्यापारियों के लिए निर्धारित और स्वच्छ स्थान, अपशिष्ट निकासी के लिए आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम, व्यापारियों और ग्राहकों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, प्रकाश, पानी और आवाजाही के लिए पर्याप्त जगह। संवाद का असर इतना सकारात्मक रहा कि व्यापारियों में भारी उत्साह देखा गया।

निगमायुक्त की बातों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में मछली व्यापारियों ने दुकानों के आवंटन के लिए आवेदन किया है। निगमायुक्त ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी आवेदनों पर सकारात्मक और पारदर्शिता के साथ विचार कर जल्द से जल्द आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाए।

निगमायुक्त श्री अहिरवार ने बताया कि हमारा लक्ष्य है कि हर छोटा-बड़ा व्यापारी सुरक्षा और सम्मान के साथ अपना व्यवसाय कर सके। गुरंदी का यह नवनिर्मित मार्केट इसी दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।

रामनवमी और ईद-उल-फितर पर्व पर नगर निगम ने की विशेष व्यवस्थाएं

शहर में रामनवमी पर्व , 20 मार्च को चैती चंद एवं 21 मार्च को ईद-उल-फितर त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसको लेकर निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने शहर में साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश एवं अन्य आवश्यक सभी व्यवस्थाएँ बेहतर कराई हैं। इस संबंध में उन्होंने बताया कि त्यौहारों पर प्रत्येक धार्मिक स्थलों के आस-पास प्रतिदिन आवश्यक साफ-सफाई, चूने की लाईन, दवा का छिड़काव, आवश्यक प्रकाश व्यवस्था, तथा शहर में निर्बाध जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। इसके लिए निगमायुक्त रामप्रलाश अहिरवार के द्वारा कार्यपालन यंत्री जल, प्रकाश, स्वास्थ्य अधिकारी के साथ-साथ सभी संभागीय अधिकारियों को अलग से आदेश जारी कर नियमित रूप से उपरोक्त सभी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित रखने के निर्देश दिये गये हैं।